संख्या- 14/2017/525/38-4-17-17(बजट)/2015

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 07 जून, 2017**

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि पर मूलधन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-11/2017/447/38-4-17-17(बजट)/2015 दिनांक 05.06.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रथम त्रैमास (01 अप्रैल,2017 से 30 जून,2017 तक) के स्थान पर टंकण त्रुटि के कारण "प्रथम त्रैमास (01 जनवरी,2017 से 30 जून,2017 तक)" अंकित हो गया है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-11/2017/447/38-4-17-17(बजट)/2015 दिनांक 05.06.2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित "प्रथम त्रैमास (01 जनवरी,2017 से 30 जून,2017 तक)" के स्थान पर "प्रथम त्रैमास (01 अप्रैल,2017 से 30 जून,2017 तक)" पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या- 14/2017/525(1) /38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10- गार्डबुक ।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।